भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1395

गुरुवार, दिनांक 15 दिसंबर, 2022 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>पीएम-कुसुम का कार्यान्वयन</u>

1395. श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे:
श्री दिलीप शइकीया:
श्री अरुण साव:
श्री सुनील कुमार सिंह:
श्री रंजीत सिन्हा हिंदूराव नाईक निम्बालकर: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) की मुख्य विशेषताएं और उद्देश्य क्या हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कितनी निधि वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आवंटित, जारी और उपयोग की गई है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान पीएम-कुसुम के तहत स्वतंत्र सौर कृषि पंपों की स्थापना के संबंध में वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं;

(घ) पीएम-कुसुम के कार्यान्वयन की धीमी गति के कारणों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा पीएम-कुसुम के उचित कार्यान्वयन के लिए नए सिरे से क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क): प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) के मुख्य उद्देश्यों में कृषि क्षेत्र को डीजल मुक्त करना, किसानों को जल और ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करना, किसानों की आय बढ़ाना और पर्यावरण प्रदूषण कम करना शामिल है। योजना के तहत 34422 करोड़ रु. की कुल केन्द्रीय वित्तीय सहायता के साथ दिनांक 31.03.2026 तक 30.8 गीगावाट सौर विद्युत क्षमता वृद्धि हासिल करने के लिए लक्षित तीन घटक हैं। योजना की अन्य मुख्य विशेषताएं अनुलग्नक-**I** में दी गई हैं।

(ख): पीएम-कुसुम के तहत राज्य-वार निधियां आवंटित नहीं की जाती हैं क्योंकि यह एक मांग आधारित योजना है। इसके अतिरिक्त, कुछ लक्ष्यों को हासिल करने पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी की जाती हैं। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान योजना के तहत जारी निधियों के राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरे अनुलग्नक-**II** में दिए गए हैं।

(ग): पीएम-कुसुम एक मांग आधारित योजना है और इसीलिए योजना के तहत राज्य-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गए हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त मांग के आधार पर क्षमताएं आवंटित की जाती हैं। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आवंटित स्टैंड-अलोन सौर पंपों और की गई स्थापना अनुलग्नक-**III** में दी गई है।

(घ): किसानों के लिए किफायती वित्त पोषण और निधियों के राज्य-अंश की उपलब्धता पीएम-कुसुम योजना के कार्यान्वयन में एक प्रमुख चुनौती है। इसके अलावा, वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान कोविड-19 महामारी के कारण कार्यान्वयन की गति काफी हद तक प्रभावित रही।

(ङ) योजना के समुचित कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए उपाय अनुलग्नक-**IV** में दिए गए हैं।

<u>अनुलग्नक-I</u>

"पीएम-कुसुम का कार्यान्वयन" के संबंध में पूछे गए दिनांक 15.12.2022 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.1395 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

<u>पीएम-कुसुम योजना की अन्य मुख्य विशेषताएं</u>

लक्ष्य/शर्तें	उपलब्ध वित्तीय सहायता
योजना मांग आधारित और योजना के लिए जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, कार्यान्वयन के लिए देश के सभी किसानों के लिए है।	
घटक-क: किसानों की बंजर/परती/चरागाह/दलदली भूमि पर 10,000 मेगावाट के विकेन्द्रीकृत ग्राउंड/स्टिल्ट माउंटेड सौर विद्युत संयंत्रों की स्थापना। ऐसे संयंत्रों की स्थापना व्यक्तिगत किसानों, सौर विद्युत डेवलपर, सहकारी समितियों, पंचायतों और कृषक उत्पादक संगठनों द्वारा की जा सकती है।	इस योजना के तहत सौर/अन्य अक्षय विद्युत की खरीद के लिए 40 पैसे प्रति किलोवाट घंटा अथवा 6.60 लाख रु. प्रति मेगावाट प्रति वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, की दर से डिस्कॉमों को खरीद आधारित प्रोत्साहन (पीबीआई) दिया जाता है। डिस्कॉमों को संयंत्र के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 5 वर्षों की अवधि के लिए पीबीआई दिया जाता है। इसलिए, डिस्कॉमों को देय कुल पीबीआई 33 लाख रु. प्रति मेगावाट है।
घटक-ख: ऑफ-ग्रिड क्षेत्रों में 20 लाख स्टैंड-अलोन सौर पंपों की स्थापना। घटक-ग: (i) व्यक्तिगत पंप सौरीकरण और (ii) फीडर स्तरीय सौरीकरण के जरिए 15 लाख ग्रिड संबद्ध कृषि पंपों का सौरीकरण घटक-ख और घटक-ग के तहत व्यक्तिगत किसान, जल यूजर एसोसिएशन, प्राथमिक कृषि क्रेडिट सोसायटियों और समुदाय/क्लस्टर आधारित सिंचाई प्रणाली लाभार्थी हो सकते हैं।	घटक-ख और घटक-ग के तहत व्यक्तिगत पंपों के सौरीकरण के लिए: स्टैंड-अलोन सौर कृषि पंपों की बेंचमार्क लागत अथवा निविदा लागत, इनमें से जो भी कम हो, की 30% केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) दी जाती है। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, लक्षद्वीप तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में, बेंचमार्क लागत या निविदा लागत, इनमें से जो भी कम हो, का 50% सीएफए प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को कम-से-कम 30% वित्तीय सहायता उपलब्ध करानी होती है। शेष लागत लाभार्थी द्वारा दी जानी होती है। कृषि फीडर सौरीकरण के लिए, 1.05 करोड़ रु. प्रति मेगावाट केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी जाती है। भागीदार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से वित्तीय सहायता की कोई अनिवार्यता नहीं है। फीडर सौरीकरण कैपेक्स अथवा रेस्को मोड में कार्यान्वित किया जा सकता है।

अनुलग्नक-II

"पीएम-कुसुम का कार्यान्वयन" के संबंध में पूछे गए दिनांक 15.12.2022 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.1395 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-**II**

पीएम-कुसुम योजना के तहत जारी की गई राज्य-वार और वर्ष-वार निधियाँ

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (30.11.2022 तक)	कुल
1.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0.15	0.15
2.	गुजरात	0	3.95	0	0	3.95
3.	हरियाणा	0	51.33	161.12	38.46	250.91
4.	हिमाचल प्रदेश	0	2.8	0	5.77	8.57
5.	जम्मू एवं कश्मीर	0	0	0	15.45	15.45
6.	झारखंड	0	16.05	0	0	16.05
7.	कर्नाटक	0	1.26	0	0	1.26
8.	मध्य प्रदेश	71.07	0	0	0	71.07
9.	महाराष्ट्र	0	0	9.6	151.76	161.36
10.	मणिपुर	0	0.36	0	0	0.36
11.	मेघालय	0	0.28	0	0	0.28
12.	ओडिशा	0	0.77	0	0	0.77
13.	पंजाब	0	8.28	23.7	27.99	59.97
14.	राजस्थान	68.98	52.06	153.49	190.98	465.51
15.	तमिलनाडु	11.21	0	20.3	0	31.51
16.	त्रिपुरा	0	3.96	7.36	0	11.32
17.	उत्तराखंड	0	0	0	3.31	3.31
18.	उत्तर प्रदेश	0	15.34	13.73	35.79	64.86
19.	अन्य	0	0	16.75	0	16.75
कुल		151.26	156.43	406.04	469.66	1183.39

अनुलग्नक-**III**

"पीएम-कुसुम का कार्यान्वयन" के संबंध में पूछे गए दिनांक 15.12.2022 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.1395 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-**III**

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष दिनांक 30.11.2022* तक के दौरान पीएम-कुसुम योजना के तहत आवंटित और स्थापित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्टैंड-अलोन सौर पंप

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटित पंप (संख्या)	स्थापित पंप (संख्या)			
			2020-21	2021-22	2022-23 (30.11.2022 तक)	कुल
1	अरुणाचल प्रदेश	200	0	0	0	0
2	असम	5000	0	0	0	0
3	छत्तीसगढ़	25000	0	0	0	0
4	गोवा	200	0	0	0	0
5	गुजरात	8082	93	366	810	1269
6	हरियाणा	197655	8166	23798	7379	39343
7	हिमाचल प्रदेश	1180	40	185	250	475
8	जम्मू एवं कश्मीर	5000	0	103	359	462
9	झारखंड	16717	381	6336	2205	8922
10	कर्नाटक	10314	76	238	0	314
11	केरल	100	0	0	0	0
12	लद्दाख	1600	0	0	0	0
13	मध्य प्रदेश	57000	7234	0	0	7234
14	महाराष्ट्र	200000	0	2426	27436	29862
15	मणिपुर	150	0	28	0	28
16	मेघालय	235	0	35	0	35
17	मिजोरम	1700	0	0	0	0
18	नागालैंड	65	0	0	0	0
19	ओडिशा	5741	110	647	381	1138
20	पंजाब	63000	1107	5390	5473	11970
21	राजस्थान	158884	3514	18929	30178	52621
22	तमिलनाडु	6200	988	199	1223	2410
23	तेलंगाना	400	0	0	0	0
24	त्रिपुरा	4021	63	358	753	1174
25	उत्तर प्रदेश	36842	2959	3883	0	11389
26	उत्तराखंड	1838	0	0	307	307
	कुल	807124	24731	62921	76754	168953

*वर्ष 2019-20 के दौरान कृषि पंप की स्थापना की सूचना नहीं है।

अनुलग्नक-IV

"पीएम-कुसुम का कार्यान्वयन" के संबंध में पूछे गए दिनांक 15.12.2022 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.1395 के भाग (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-**IV**

पीएम-कुसुम योजना के समुचित कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए उपायों में अन्य के साथ-साथ शामिल निम्नलिखित हैं:

- पीएम-कुसुम योजना दिनांक 31.03.2026 तक बढ़ाई गई है।
- पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों तथा अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों में व्यक्तिगत किसानों के लिए और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अधिक जलस्तर वाले क्षेत्रों में क्लस्टर/सामुदायिक सिंचाई परियोजनाओं में प्रत्येक किसान के लिए 15 एचपी (7.5 एचपी से बढ़ाकर) तक की पंप क्षमता के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध है।
- किसानों के लिए किफायती वित्त पोषण उपलब्ध कराने के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के साथ बैठक।
- स्टैंड-अलोन सौर पंपों की खरीद के लिए राज्य स्तर पर निविदा की अनुमति दी गई।
- कार्यान्वयन के लिए समयावधि आरंभिक मंजूरी की तिथि से 24 महीने तक बढ़ाई गई।
- घटक-क और घटक-ग (फीडर स्तरीय सौरीकरण) के तहत निष्पादन बैंक गारंटी की आवश्यकता में छूट दी गई।
- इंस्टॉलर बेस बढ़ाने के लिए निविदा की शर्तें संशोधित की गई हैं ताकि योजना के तहत लाभ प्रदान करने में तेजी लाई जा सके।
- किसानों को सब्सिडीयुक्त ऋण देने के लिए कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ) के तहत शामिल योजना के अंतर्गत पंपों का सौरीकरण।
- वित्त पोषण में आसानी के लिए योजना को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) दिशानिर्देशों के तहत शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, कई बैंकों ने योजना के तहत ऋण दिशानिर्देश जारी किए हैं।
- स्थापना में गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए सौर पंपों के विनिर्देशनों और परीक्षण प्रक्रिया को समय-समय पर संशोधित किया गया है।
- योजना की निगरानी के लिए केन्द्र और राज्य स्तरों पर वेब पोर्टल बनाए गए हैं।
- सीपीएसयू के जरिए भी प्रचार-प्रसार करना और जागरुकता पैदा करना।
- योजना संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए टोल-फ्री नंबर दिया गया है।
- योजना की प्रगति की नियमित निगरानी करना और स्पष्टीकरण जारी करना तथा कार्यान्वयन के दौरान प्राप्त अनुभव एवं हितधारकों से फीडबैक के आधार पर योजना के दिशानिर्देशों में संशोधन करना।

*****